निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 12 / अपील / 19 तारीख दायरा 27.08.2019

उनवान अपील
मांगीलाल आ0 जगन्नाथ लोधा नि0 महेशपुरा तहसील बकानी (अपीलान्ट)
बनाम
01. तहसीलदार तहसील बकानी जिला झालावाड
02. लक्ष्मीचन्द आ0 भंवरलाल लोधा नि0 महेशपुरा तहसील बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी आदेश कार्यालय तहसीलदार बकानी दिनांक 14.08.2019 जिसके द्वारा खसरा न0 16 की कोट हटाये जाने बाबत।

उपस्थितः— श्री अमितोष आचार्य, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री विजय कुमार जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 2 की और से
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 30.09.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.08.2019 को दिये गये आराजी खसरा न0 16 की कोट हटाये जाने के आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बकानी द्वारा दिनांक 14.08.2019 को क्रमांक—राजस्व / 19 / 695—96 से भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट 15.06.19 की रोशनी में अपीलान्ट के खसरा न0 16 में शामलाती खाते की पत्थर की कोट को अवरूद्ध मानकर दिनांक 24.08.2019 को रास्ता खुलासा करने बाबत वृत निरीक्षक बकानी को आदेशित किया गया से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई है अपील मेंमों में अंकन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना,विधि विरूद्ध और एकतरफा खारिज योग्य है। आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना पत्र जारी नही किया गया ना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। मौका पर्चा रिपोर्ट में हल्का पटवारी, सरपंच व रेस्पो0 2 के परिजनों के हस्ताक्षर हो रहे हैं, रिपोर्ट किस समय तैयार की गई उसका उल्लेख नही है अपीलान्ट की उपस्थिति बाबत कोई तथ्य वर्णित नही है, ग्राम महेशपुरा की आराजीयात खाता न0 118 / 104 में कुल 17 खातेदार कृषक हैं,उक्त खातेदारान को मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी नही किया गया, मौका रिपोर्ट मनमानी एवं अवैध रूप से तैयार की गई है जो संदिग्ध होने से खारिज योग्य है। वास्तविक रूप से रेस्पोडेन्ट लक्ष्मीचन्द एवं उसके परिजन प्रारंभ से ही हीरामनजी के मंदिर की तरफ वाले रास्ते से होकर खसरा न0 21,22,23 की दक्षिण मेर पर होकर खसरा न0 21 में आते—जाते रहे है और इसके अतिरिक्त वह खसरा न0 80 व 81 की उत्तरी मेर से होकर खसरा न0 21 में आते—जाते रहे हैं। रेस्पो0 लक्ष्मीचन्द द्वारा शिकायत की बात अपीलान्ट को प्राप्त होने पर अपीलान्ट मांगीलाल द्वारा दिनांक 18.06.2019 को तहसीलदार बकानी को प्रा0पत्र प्रस्तुत किया था कि लक्ष्मीचन्द हमेशा से खसरा न0 80 व 81 में से होकर निकलता आ रहा है व ख0न0 80 व 81 के खातेदारान द्वारा रास्ता अवरूद्ध किया गया है अपीलान्ट द्वारा रास्ता बन्द नही किया गया है,अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के कथन को समझने का प्रयास नही किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 15.06.2019 में पटवारी हल्का ने स्पष्ट वर्णित किया है कि वर्तमान प्रार्थी लक्ष्मीचन्द का रास्ता ख0न0 80 व 81 में निकल रहा था उक्त रास्ते को प्रभू आ0 कंवरलाल,बालचन्दआ0 देवीलाल,रोशन आ0 अमरलाल लोधा द्वारा अवरूद्ध कर दिया है उक्त तथ्य को समझने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक बकानी द्वारा दिनांक 19.06.2019 को तहसीलदार बकानी को दिये प्रा.पत्र के सन्दर्भ में उन्होने यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि आराजी ख0न0 16 की दक्षिण मेर पर जिसमें नक्शे लटठे के अनुसार पगदण्डी का रास्ता दर्शा रखा है पर पत्थर की कोट हो रही हे तथा इस मेर पर 25 से 30 बडे हरे पेड़ खडे है बिना अनुमति उक्त पेड़ो को हटाने में असमर्थता है। प्रार्थी लक्ष्मीचन्द के अवरूद्ध रास्ते का खुलासा करवाया जा चुका है। इस प्रकार रेस्पो0 2 का रास्ता वर्तमान में खुलासा है । अपीलान्ट के खसरा न0 16 जो कि अन्य 17 काश्तकारों की सह कब्जे काश्त में है की दक्षिणी मेर पर पुरानी पत्थर की कोट हो रही है जो 50 वर्ष से अधिक पुरानी है व इसके सहारे 30 से भी अधिक वृक्ष खडे हुए हैं को हटाया गया तो अपीलान्ट को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.08.2019 निरस्त फरमाया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की और से अभिभाषक श्री विजय कुमार जैन उपस्थित हुए।

जिला कलक्टर
झालावाड़

प्रकरण में हमारे द्वारा तहसीलदार बकानी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बकानी द्वारा क्रमांकः 764/राजस्व/19 दिनांक 03.09.2019 से रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें मुख्यतः अंकन किया कि सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त आवेदन लक्ष्मीचन्द आ0 भवंरलाल बाबत रास्ता खुलासा करवाये जाने पर दिनांक 15.06.2019 को पटवारी हल्का,भू0अभिलेख निरीक्षक,सरपंच, ग्रामवासियान व अपीलान्ट मांगीलाल की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की गई व पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट को अवरूद्ध रास्ते में मोजूद पत्थर की कोट को 3 दिन में हटाने हेतु पाबन्द किया गया था। स्वंय अपीलान्ट व उसके भाई परमानन्द द्वारा प्रा0पत्र दिनांक 18.06.19 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर मौका दुबारा दिखलाये जाने तत्पश्चात रास्ता निकालने का आवेदन किया गया था। मुताबित रेकार्ड नक्शा के आराजी ख0न0 80 व 81 व अपीलान्ट मांगीलाल के शामलाती आराजी ख0न0 16 में सेटलमेन्ट से पगडण्डी का रास्ता दर्ज है जो केवल अपीलान्ट द्वारा पत्थर की कोट कर पेड लगा कर अवरूद्ध कर रखा है। कार्यालय द्वारा दिनांक 14.08.2019 को अवरूद्ध रास्ते का खुलासा किये जाने हेतु जारी किया गया आदेश न्यायोचित और विधि सम्मत है।

बहस उभय पक्ष सुनी । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ तहसीलदार बकानी द्वारा मात्र रेस्पो0 द्वारा पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई है, दिनांक 15.06.2019 को ली गई मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट को ना तो नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया, इसी तरह दिनांक 19.06.2019 को आईएलआर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि उक्त आराजी पर पुरानी पत्थर की कोट हो रही है व पुराने पेड हैं, बताया गया रास्ता पुराना रास्ता नही है क्यों कि अगर पुराना रास्ता होता तो इतने बड़े वृक्ष उक्त आराजी पर नही होते। रेस्पो0 लक्ष्मीचन्द की आराजी पर आने–जाने हेतु जो रास्ता अवरूद्ध किया गया था वह आराजी ख0न0 80 व 81 की मेर पर था जिसे खुलासा करवा दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी का निर्णय अपास्त किया जावे।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि जो रास्ता अवरूद्ध किया गया है वह रेकार्डेड रास्ता है जो नक्शा लटठा में भी दर्ज है। रेस्पो0 की आराजी पर पंहुच हेतु अवरूद्ध रास्ता ख0न0 80 व 81 का खुलासा करवाया जा चुका है अब ख0न0 16 से रास्ते का खुलासा करवाया जाना आवश्यक हे जो पगडण्डी के रूप में दर्ज है जिस पर से पेड आदि नही भी हटाये जावें लेकिन पत्थर की कोट को हटवाया जाकर रास्ते का खुलासा करवाया जावे।

इस पर अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा व्यक्त किया गया कि आराजी ख0न0 16 पर बहुत पुरानी पत्थर की कोट हो रही है अपीलान्ट द्वारा उक्त रास्ता कब रोका गया यह कंही पर भी अकंन नही है रेस्पो0 की आराजी पर पंहुच हेतु रास्ते का खुलासा पूर्व में ही करवा दिया गया है।

तदुपरान्त अभिभाषक रेस्पो0द्वारा पुनः व्यक्त किया गया कि ख0न0 16 जिस पर नक्शे लटठे में पगदण्डी के रूप में दर्शित है उसका खुलासा करवाने का आदेश तहसीलदार द्वारा सही दिया गया है, अपील खारिज की जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार बकानी द्वारा क्रमांकः 764/राजस्व/19 दिनांक 03.09.2019 से भिजवाई रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बकानी के आदेश को उचित बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 15.06.2019 में स्पष्ट किया गया है कि सरपच व ग्रामवासियान की मोजूदगी मे विवादित अवरूद्ध रास्ते का मौका देखा गया है व आराजी ख0न0 80 व 81 के अवरूद्ध रास्ते का तो खुलासा करवा दिया गया था व ख0न0 16 के शामलाती खातेदार अपीलान्ट मांगीलाल को तीन दिन में अपनी कोट को हटा लेने बाबत पाबन्द किया गया। इसी तरह पत्रावली में संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक बकानी द्वारा तहसीलदार बकानी को दिनांक 19.06.2019 को की गई रिपोर्ट अनुसार " आराजी खसरा न.16 की दक्षिणी मेर पर जिसमें नक्शे लट्ठे के अनुसार पगड्डीं का रास्ता दर्शा रखा है पर पुरानी पत्थर की कोट हो रही है" इस तरह उक्त रिपोर्ट अनुसार भी खसरा न0 16 नक्शे लट्ठे अनुसार पगडण्डी दर्ज होना साबित है व उक्तानुसार रास्ते को अवरूद्ध किया जाने पर तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत बकानी को उक्त रास्ता खुलासा कर अतिक्रमण हटाने के दिये गये निर्देश को किसी भी सूरत में गलत नही ठहराया जा सकता तहसीलदार द्वारा क्रमांक 695–96/राजस्व/19 दिनांक 14.08.2019 से आईएल आर बकानी को दिये गये निर्देश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड